

REPORT OF THE ETHICS COMMITTEE

SHRI S.B. CHAVAN (Maharashtra): Sir, I beg to present the Second Repoil (in English and Hindi) of the Ethics Committee.).

SPECIAL MENTIONS

**Killings of 17 Persons of Minority Community in Meerut and
Withdrawal of Criminal Cases Against Those Involved
by the Uttar Pradesh Government**

प्र० रामगोपाल यादव (उत्तर प्रदेश): सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं एक ऐसे मसले को आज विशेष उल्लेख के जरिए उठा रहा हूँ जो उत्तर प्रदेश सरकार की मानव-जीवन और मानव-मूल्यों के प्रति संवेदनहीनता का एक जीता-जागता उदाहरण है। महोदय, पिछले सप्ताह उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऐसे मुकदमें को वापस लिया है जो 20 मई, 1991 को मेरठ के निगार टॉकीज़ में सिनेमा देख रहे 17 निर्दोष अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की हत्या से संबंधित था। वे लोग जो सिनेमा देखने गए थे, उन्हें यह अंदाज़ नहीं था कि समय और भविष्य में आगे क्या पिछा हुआ है। जब वे सिनेमा देख रहे थे तो एक भीड़ ने आकर हमला किया और 17 लोगों की हत्या कर दी। बहुत सारे लोग घायल हुए। उसके बाद पूरे मेरठ में कर्फ्यू लगा और 1991 में जो लोक सभा का चुनाव हुआ था, उसी दिन वह काउंटरमांड कर दिया गया। जो लोग के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई, चार्जेज़ फ्रेम हो चुके थे लेकिन अभी पिछले सप्ताह उत्तर प्रदेश सरकार ने उन सभी अभियुक्तों के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस ले लिया और मेरठ के एक जज ने उस मुकदमें को वापस लेने की अनुमति देते हुए अपने आदेश में कहा कि क्योंकि सरकार ने जनहित में यह मुकदमा वापस ले लिया है, इनको बरी किया जाता है। 17 लोगों की हत्या और जनहित में यह मुकदमा वापस लेती हैं।

सभापति महोदय, अभी मंत्री जी यहां माइनोंरिटीज़ के प्रति हो रहे डिस्क्रिमिनेशन का इससे बड़ा ज्वलन्त उदाहरण और क्या हो सकता है? 1947 में वे मुसलमान जो अटारी के इलाके से सिर पर पौअली रखकर पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे, गांधी जी के अनुरोध पर हिंदुस्तान लौट आए थे, उनके और उनके बच्चों के साथ यदि इस तरह की हरकत कोई करता है। तो क्या उनको अफसोस नहीं होता रहेगा? यह बहुत गंभीर मामला है। महोदय, भारत के संविधान ने भी फंडामेंटल राइट्स में मानव जीवन की स्वतंत्रता, जीवन का अधिकार और दैहिक स्वतंत्रता दी हैं और आई पी.सी. की धारा 302 के अंतर्गत अगर कोई